लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

PA
सामान्य वेबसाइट पर upload करें
सामान्य करें / संलग्न पत्र प्रस्तुत करें।
18/12/18

3965
14.12.18

क्रमांक / लो.शि.सं. / विद्या / सं.प्र. / /2018 /14327- भोपाल,दिनांक-13.12.2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त, मध्यप्रदेश

विषय :— महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान हेतु जिला संस्कृत प्रभारियों की व्यवस्था विषयक।

---00---

मध्यप्रदेश राज्य में संस्कृत तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र मे अनुसंधान एवं व्यापक अध्ययन को अग्रसर करने के प्रयोजन हेतु और स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा को विनियमित करने के लिये तथा उससे संसक्त अनुषांगिक अन्य विषयों के लिये शासन द्वारा महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम राजपत्र दिनांक 07 मई 2007 से प्रकाशित एवं दिनांक 18 अगस्त 2008 से प्रभावशील किया जाकर संस्थान की स्थापना की गयी है ।

2. महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान अधिनियम 2007 की धारा 4 संस्थान के उद्देश्य एवं धारा – 5 संस्थान की शक्तियां एवं उसके कृत्य–प्रावधान के अन्तर्गत प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शासकीय / अशासकीय / परम्परागत संस्कृत विद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने, पूर्वमध्यमाद्वितीयखण्ड (10वीं) एवं उत्तरमध्यमाद्वितीयखण्ड (12वीं) की बोर्ड परीक्षा का संचालन, संस्कृत विद्यालयों में स्थानीय परीक्षाओं का आयोजन एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे – संस्कृत सप्ताह, शास्त्रीय स्पर्धा, संस्कृत नाटक, सेमीनार, संस्कृत संभाषण, संस्कृत शिक्षकों को पुरस्कार, नवसम्वतसर महोत्सव, संस्कृत एवं योग प्रशिक्षण इत्यादि गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

3. जिलो में उपरोक्तानुसार गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ– 445 / 2012 / 20–3 दिनांक 13.12.2012 द्वारा प्रत्येक जिले में संस्कृत प्रभारी बनाये जाने के निर्देश दिये है।

4. उपरोक्त के प्रकाश में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित विद्यालय में पदस्थ एक संस्कृत शिक्षक / अध्यापक को जिला संस्कृत प्रभारी का प्रभार दिया जाना सुनिश्चित करे, जो अपने शैक्षणिक कार्य के साथ–साथ सप्ताह में एक दिवस जिला शिक्षा कार्यालय में स्थापित संस्कृत प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर कंडिका –2 में उल्लेखित कार्य करेंगे।

6. उपरोक्त निर्देश का पालन किया जाकर जिला संस्कृत प्रभारी के नाम महर्षि पंतजलि संस्कृत संस्थान को उनके ईमेल **maharshipatanjali2014@gmail.com** एवं संस्थान कार्यालय के पता **R- 24 जोन – 1 एम.पी. नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल – 462021** पर भेजना सुनिश्चित करें।

(जय श्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक / लो.शि.सं. / विद्या / सं.प्र. / /2018/14328- भोपाल,दिनांक 13.12.2018

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण महोदय की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

4